

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 नवम्बर 2016—अग्रहायण 2, शक 1938

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016

क्र. 84 (13)-वि.निर्वा.-चार-2016-उपचुनाव-317.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (43 सन् 1951) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में 12-शहडोल (अजजा) संसदीय एवं 179-नेपानगर (अजजा) विधान सभा क्षेत्र के रिक्त पद को भरने हेतु सम्पन्न हुए उप चुनाव के परिणाम की घोषणा (प्ररूप 21-घ) जिनमें निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अन्तर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं.

राकेश कुशरे, उपसचिव.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्त को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा.

*मध्यप्रदेश (राज्य) के 12-शहडोल (अजजा) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोकसभा के लिये निर्वाचन.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :—

श्री ज्ञान सिंह '[जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं.] उस सदन में, श्री दलपत सिंह परस्ते के मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : अनूपपुर

तारीख : 22 नवम्बर 2016

हस्ता./—

(अजय कुमार शर्मा)

रिटर्निंग आफिसर,

12-शहडोल (अजजा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

मध्यप्रदेश.

*जो समुचित न हो उसे काट दीजिए

CONDUCT OF ELECTIONS RULE, 1961
(Statutory Rule and Order)

FORM 21D
(See Rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the House of the People from the 12-Shahdol (ST) Parliamentary constituency in Madhya Pradesh (State/Union territory).

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Election Rule, 1961, I declare that—

GYAN SINGH [Sponsored by **Bharatiya Janata Party** (Name of the recognized/political party)] has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of death of **DALPAT SINGH PARASTE** having been declared vacant.

Place : Anuppur

Date : 22nd November 2016.

Sd./-

(AJAY KUMAR SHARMA)

Returning Officer,

12-Shahdol (ST)

Parliamentary Constituency.

*Score out, if inappropriate.

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा.

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से 179 नेपानगर (अ.ज.जा.) (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) मध्यप्रदेश की विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन.

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :—

श्रीमती मंजू राजेन्द्र दादु, 20 कानापुर पोस्ट मांजरोद कला तहसील खकनार जिला बुरहानपुर [जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े की गई हैं.] उस सदन में, श्री राजेन्द्र दादु आत्मज श्री श्यामलाल दादु की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं.

स्थान : बुरहानपुर

तारीख : 22 नवम्बर 2016.

हस्ता./—

(अनिल सपकाले)

रिटर्निंग आफिसर,

179-नेपानगर (अजजा) विधान सभा क्षेत्र
जिला बुरहानपुर.

CONDUCT OF ELECTION RULES, 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM 21D
(See Rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of 179 Neapanagar (ST) (State/Union Territory) from Madhya Pradesh Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

MANJU RAJENDRA DADU 20, Kanapur Post Manjhrod Kala Tahsil Khaknar District Burhanpur Sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognized/registered political party) Has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the death of Shri RAJENDRA DADU son of Shri SHYAMLAL DADU having been declared vacant.

Place : Neapanagar

Date : 22nd November 2016.

Sd./-

(ANIL SAPKALE)

Returning Officer,

179-Neapanagar (ST) Assembly Constituency
District Burhanpur.